

23/6/22

05/07/22

पत्रावली 12 हटाने का दावा उक्त स्थान है
पक्षकारान वकील उप है। पूर्व आवश्यक
पत्रावली दि 21/7/22 के बारे में।

पत्रावली यैसा हुई। वकील पाद्री/प्रार्थी
द्वारा मूल वाद में अर्चना का 151 जा. की
पेशा कर सकता है जो उनके के विवेक
से क. इ. पत्रावली तलब की जाकर पेशा
हुई है। मूल वाद में कार्यवाही प्रोप क्रिये
जाने से क. इ. पत्रावली में अब कार्यवाही
आनीव्यवस्था है, अतः क. इ. पत्रावली
में आवासी कार्यवाही प्रोप की जाती है।
पत्रावली के तलब सुधार कर के बाद नए
काम की जाकर दाखिल हफ्तर से।
विषय सुले न्यायालय में सुनाया जाकर
मेरे क्लर्क व न्यायालय सुधार के
जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

